भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 577

गुरूवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक)

बेरोजगारी की दर

577. श्री अनिल कुमार यादव मंदादी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि देश में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है और युवाओं (15-29 वर्ष) की नियोजनीयता की क्षमता बहुत कम है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विशेष रूप से शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की उच्च दर को कम करने के लिए कदम उठाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जनवरी 2025 से पीएलएफएस को नया रूप दिया है। नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 कैलेंडर वर्ष (जनवरी 2025-दिसंबर 2025) के दौरान आयोजित वार्षिक रिपोर्ट की श्रृंखला में पहली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2022 में 3.6% से घटकर 2025 में 3.1% हो गई है। साथ ही, देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए यूआर 2022 में 10.9% से घटकर 2025 में 9.9% हो गया है। वर्ष 2022 और 2025 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी दर निम्नानुसार है:

बेरोजगारी दर (% में)		
विवरण	2022	2025
निरक्षर	0.3	0.3

साक्षर एवं प्राथमिक शिक्षा तक	0.8	0.6
मिडिल	2.0	1.6
माध्यमिक एवं उससे ऊपर	8.0	6.5

स्रोत : पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि बेरोजगारी दर (यूआर) में इन वर्षों के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

इसके अतिरिक्त, नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 54.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 57.4% हो गया है। साथ ही, देश में 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं का कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 38.5% से बढ़कर वर्ष 2025 में 41.4% हो गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में (युवाओं सहित) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) लागू कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई**)** ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए **'**फ्यूचर स्किल्स प्राइम**'** कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही

है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
